रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2685] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935
No. 2685] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3535(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 5 (घ) की उप;धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर का गठन करती है, अर्थात् :–

I.	धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सदस्यः	
1.	मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	– पदेन
II.	धारा 5 (घ) की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सदस्यः	
2.	मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (आयुर्विवज्ञान शिक्षा) कर्नाटक सरकार	– पदेन
III.	धारा 5 (घ) की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यः	
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार	– पदेन
IV.	धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सदस्यः	
4.	निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर	– पदेन
V.	धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ड़) के अधीन सदस्यः	
5.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिति (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो)	– पदेन
VI.	धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्यः	
6.	उच्चत्तर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिति (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो)	– पदेन
VII.	धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन सदस्यः	

7. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार — पदेन

VIII. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन सदस्यः

8. उपकुलपति, राजीव गांधी स्वास्थय विज्ञान वि विद्यालय, कर्नाटक — पदेन

IX. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन सदस्यः

9. कर्नाटक सरकार का मुख्य सचिव या उसका नामनिर्देशिति (जो उस सरकार में सचिव की पंक्ति से अन्यून ना हो) — पदेन

X. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन सदस्यः

10. प्रो. के. विजय राघवन, जैव प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।

11. डा. वी. एस. चौहान, अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रोद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली।

12. डा. विक्रम पटेल, आचार्य, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रापिकल मेडिसिन, लंदन और संगथ, गोवा।

13. डा. रमेश्र बुधानी, निदेशक, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली।

14. न्यायमूर्ती (सेवानिवृत) प्रभा श्रीदेवन, अध्यक्ष, भौतिक संपदा अपील अधिकरण, चेन्नई।

15. श्री अमृत बक्शी, अध्यक्ष विखंडित – मनस्कता जागरुकता संगम, पुणे।

16. डा. आर. थारा, निदेशक विखंडित – मनस्कता अनुसंधान (एस.सी.ए.आर.एफ), चेन्नई।

XI. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन सदस्यः

17. प्रो. शोभा श्रीनाथ, आचार्य, बालक और किशोर मनोविकार चिकित्सा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

18. डा. एस. के. पांडया, सेवानिवृत, विभागाध्यक्ष, तंत्रिका शल्य कर्म, किंग एडवर्ड स्मारक अस्पताल, मुम्बई।

19. प्रो. भाबतोश विस्वास – आचार्य और प्रमुख, हृदय और वक्ष शल्य कर्म, आर. जी. कार. चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता।

20. डा. वी. रवि, आचार्य और प्रमुख, तंत्रिका विशाणुविज्ञान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

XII. धारा 5 (घ) की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन सदस्यः

21. श्री ध्रुव नारायण, संसद सदस्य, लोक सभा।

22. श्री अनंत कुमार, संसद सदस्य, लोक सभा।

23. श्री एस. एम. कृष्णा, संसद सदस्य, राज्य सभा।

सदस्यों की पदावधि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, अधिनियम, 2012 की धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होगी।

[फा. सं. वी. 18013/01/2013–पी.एच.–I]

सुश्री सुजया कृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3535(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 5(d) of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), the Central Government hereby constitutes the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore consisting of the following members, namely:-

I. Member under clause (a) of sub-section (1) of section 5(d):

1. Minister of Health and Family Welfare, Government of India - *ex officio*

II. Member under clause (b) of sub-section (1) of section 5(d):

2. Minister of Health and Family Welfare (Medical Education), Government of Karnataka - *ex officio*

III. Member under clause (c) of sub-section (1) of section 5(d):

IV. Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of Health and Family Welfare - *ex officio*

V. Member under clause (d) of sub-section (1) of section 5(d):

3. Director, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore - *ex officio*

VI. Member under clause (e) of sub-section (1) of section 5(d):

4. Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) Ministry of Finance, Department of Expenditure

-ex officio

VII. Member under clause (f) of sub-section (1) of section 5(d):

5. Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development

- *ex officio*

VIII. Member under clause (g) of sub-section (1) of section 5(d):

6. Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

-ex officio

IX. Member under clause (h) of sub-section (1) of section 5(d):

7. Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka

-ex officio

X. Member under clause (i) of sub-section (1) of section 5(d):

8. Chief Secretary to the Government of Karnataka or his nominee who shall not be below the rank of Secretary to that Government *-ex officio*

XI. Member under clause (j) of sub-section (1) of section 5(d):

9. **Prof. K. Vijay Raghavan**, Secretary, Department of Biotechnology, Government of India

10. **Dr. V.S. Chauhan**, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi.

11. **Dr. Vikram Patel**, Professor of International Mental Health, London School of Hygience and Tropical Medicine, London and Sangath, Goa

12. **Dr. Ramesh Budhani**, Director, National Physical Laboratory, New Delhi.

13. **Justice (Retd.) Prabha Sridevan,** Chairperson, Intellectual Property Appellate Tribunal, Chennai.

14. **Shri Amrit Bakshy,** President, Schizophrenia Awareness Association, Pune.

15. **Dr. R. Thara,** Director, Schizophrenia Research Foundation (SCARF), Chennai.

XII. Member under clause (k) of sub-section (1) of section 5(d):

16. **Prof. Shobha Srinath,** Professor, Child and Adolescent Psychiatry, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.

17. **Dr. S.K. Pandya,** Retd. Head of the Department, Neurosurgery, King Edward Memorial Hospital, Mumbai.

18. **Prof. Bhabatosh Biswas,** Prof. and Head, Cardio and Thoracic Surgery, R.G. Kar Medical College, Kolkata.

19. **Dr. V. Ravi,** Professor and Head, Neurovirology, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.

XIII. Member under clause (l) of sub-section (1) of section 5(d):

20. Shri. Dhruvanarayana, Member of Parliament, Lok Sabha.

21. Shri. Ananth Kumar, Member of Parliament, Lok Sabha.

22. Shri S.M. Krishna, Member of Parliament, Rajya Sabha.

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore Act, 2012.

[F. No. V. 18013/01/2013-PH-I]

Ms. SUJAYA KRISHNAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.